2022/38

फर्द अहकाम

(नियम 69)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जयसिंह मावर झुंझुनू

बनाम

श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र बंशीधर, मैo रामभजो मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड चनाना, (चिड़ावा)झुंझुनू, निवासी ग्राम ढाणी पालवाली गुढा, गुढा, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम | प्रकरण संख्या 01 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं संबंधित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह मावर द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली बारते तलबी दिनांक 12.04.2022 को पेश हो। अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	
12.4.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि उसने ग्राम चनाना में बस स्टेण्ड पर मैo रामभजो मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दुध को खरीद कर मिठाई बनाता है। अनावेदक ने दुध में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1594/एक्ट/2021/238/ दिनांक 08.11.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) अनसेफ फूड (Unsafe Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मैo रामभजो मिष्ठान भण्डार पर कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) के अनसेफ फूड (Unsafe Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बंशीधर विक्रेता मालिक मैo रामभजो मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड चनाना, (चिड़ावा) झुन्झुनू, निवासी ढाणी पाल वाली गुढा गुढा, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अनावेदक राशि सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	नरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:35 IST
Reason: SelfAttested